

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(256)एम.ई./ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक

आदेश


22 NOV 2017

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप-1/1996 दिनांक 6.4.2017 के द्वारा डॉ० मौनिका जैन (मेरिट क्रमांक 58/सामान्य महिला, जन्म तिथि 05.3.1981) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ० जैन को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ० जैन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप-1/1996 दिनांक 10.05.2017 के द्वारा डॉ० जैन के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 05.10.2017 तक की अभिवृद्धि कर निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज बीकानेर के पत्रांक एफ. 128 (स्था.राज) सपआम/474 दिनांक 13.10.2017 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ० जैन ने दिनांक 13.10.2017 तक वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ० मौनिका जैन उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नहीं हैं। अतः डॉ० जैन के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप-1/1996 दिनांक 6.4.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2013-14/210 दिनांक 06.09.2016 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
4. डॉ० मौनिका जैन पत्नी डॉ० मनीष जैन, हाउस नं. 105, लाजपत नगर, स्कीम नं. 2 अलवर(राज.)-301001 (रजिस्टर्ड डाक से)।
5. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव